मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय–वल्लभ भवन

क्रमांक 391 /2011/14-2 भोपाल, दिनांक 05 जनवरी,2011

प्रति,

कलेक्टर,
जिला (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय.–मध्यप्रदेश में कृषि महोत्सव आयोजन बाबत्।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य में कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाए । इससे संबंधित उपयोगी विवरण संलग्न है । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये है कि कृषि महोत्सव के कार्यक्रम को सुनयोजित रूप में श्रृंखलाबद्ध तरीके से आयोजित किया जावे ताकि विभिन्न कृषि से जुडे हितग्राही मूलक प्रकरणों को अभियान के रूप में तैयार किया जाकर समय–सीमा में उनका वितरण हो सके । कृपया आप यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि :–

1. तत्काल जिला अधिकारियों की बैठक ली जाकर विकासखण्ड मुख्यालय की चार सप्ताह पश्चात् की तिथि निर्धारित की जावे ।

2. इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न विभागों की योजनाएं क्या–क्या ली जा सकती है इसका प्रारूप पृथक से संलग्न है । इसकी पर्याप्त पेम्फलेट छपवाकर महोत्सव के चरणबद्ध कार्यक्रम अनुसार वितरित कराएं व पंचायतों को 10 दिन का समय संकलन हेतु दिया जाए ।

2– जिलों में आयोजित होने वाले अन्त्योदय शिविरों को भी इस कार्यक्रम से जहॉं–जहॉं सामंजस्य बन सके इसे जोडा जावे ताकि समस्त हितग्राही मूलक सम्पत्तियों की परिसम्पत्तियों का वितरण समारोह पूर्वक हो सके ।

3– कृपया इसी अनुक्रम में पृथम शिविर कहॉं आयोजित कर रहे है इसकी तिथि एवं समय निर्धारित कर मुझे फैक्स से सूचित करें ।

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक 39 / /2010/14-2 भोपाल, दिनांक 05 जनवरी,2011

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, उर्जा/उद्यानिकी/कृषि/सहकारिता/मछली पालन/पशुपालन एवं डेयरी विभाग,मंत्रालय, भोपाल
5. संचालक,किसान कल्याण कृषि विकास/उद्यानिकी/मछली पालन/पशुपालन/उर्जा संचालनालय भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय–बल्लभ भवन

प्रदेश में कृषि महोत्सव का आयोजन

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य में विकास खण्ड, जिला व शासन स्तर पर कृषि महोत्सव का आयोजन किया जावे। इससे जुडे मुख्य विवरण निम्नानुसार हैं:–

1- **महोत्सव का उद्देश्य** –इस महोत्सव का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि से जुडी समस्त योजनाओं की जानकारी समेकित रुप से उपलब्ध कराने, विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरण ग्राम स्तर से विकास खण्ड व जिला स्तर तक तैयार कराया जाना, विकास खण्ड कृषि महोत्सव के दिन हितग्राही मूलक योजनाओं की परिसम्पत्तियों को सामूहिक रुप में किसानों को वितरित किया जाना, योजनाओं के संबंध में अन्तरविभागीय समन्वय के माध्यम से उनके बेहतर बनाया जाना है ताकि प्रदेश में कृषि का उत्पादन उसके सर्वोत्तम स्तर तक पहुच सके।

2- **महोत्सव की रुपरेखा** – उक्त अनुसार वर्णित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि सभी किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी हो। अतः महोत्सव के विभिन्न चरण विकास खण्ड स्तर पर निम्नानुसार रहेंगे:–

(ए) **तिथि निर्धारण** :जिला कलेक्टर के स्तर पर विकास खण्डों की तिथियों का निर्धारण इस हेतु विभिन्न संबंधित विभागों की बैठक लेकर स्थानीय परिस्थिति व कृषक की सुगमता को ध्यान में रखते हुए तिथि निर्धारण किया जावे।

(बी) **ग्राम स्तर तक योजनाओं का प्रचार**– जिला स्तर पर सीधे रुप में किसानों से जुडी विभिन्न योजनाओं की जानकारी किस–किस विभाग की क्या है यह पुस्तिका के रुप में जन संपर्क निदेशालय द्वारा पूर्व से प्रकाशित है। इस पुस्तिका में कृषि व अन्य सम्बध्द विभागों (कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, उर्जा, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास,

कृषि अभियांत्रिकी, ग्रामोद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग, पशुधन विभाग आदि) की वर्णित योजनाओं को एक्जाई रुप में प्रचार प्रसार हेतु परचे के रुप में छपाया जाये व प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर तक इसे व्यापक रुप में वितरित किया जाये। विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन पत्र संबंधित हितग्राही अपने ग्राम पंचायत अथवा निकट की जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करा सकते है। जिसकी उसे पावती दी जायेगी।

(सी) **महोत्सव के विभिन्न चरण**— विभिन्न चरणों की समय सीमा संलग्न **परिशिष्ट—1** में दर्शायी गई है। कृपया अवलोकन करने का कष्ट करे। प्रत्येक जनपद विकास खण्ड के ग्रामों में **25—30** हजार परचे इस बाबत वितरित किये जा सकते है। ग्राम स्तर पर किसानों को अपने आवेदन जमा कराने हेतु 10 दिन का समय दिया जायेगा।

(डी) **आवेदन संकलन** — 10 दिन पश्चात विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम पंचायतों के सचिव समस्त आवेदन पत्र लेकर एकत्रित होंगे जहां उनकी विभिन्न विभागों वार छटाई की जायेगी। जैसे कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, मार्कफेड, एमपी एग्रो, जल संसाधन विभाग, नर्मदा विकास विभाग, उर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन विभाग, राजस्व विभाग, बीज प्रमाणीकरण संस्था, म0प्र0 बीज निगम, अपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति आदि—आदि। आवेदनों की छटनी कर यह आवेदनपत्र संबंधित विभागों के प्रतिनिधि को दे दिये जायेंगे तथा वे उनका निराकरण **21** दिन में करावेंगे।

(इ) **समय सीमा में निबटारा** — प्रत्येक विभाग के लिए यह बाध्यता होगी कि जो आवेदन पत्र दिए गये है उसका सकारात्मक समाधान किया जावे व यदि किसी तकनीकी वित्तीय एवं विधिक कारणों से यह संभव नहीं है तो लेखी में संबंधित हितग्राही को उसके कारणों से अवगत कराया जायेगा।

(एफ) **पृथक प्रकरण नस्ती तैयारीः—** प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक विभाग अलग—अलग नस्ती संधारित करेंगे जिसमें **21** दिन के समय में उसके आवेदन के निराकरण हेतु जो जो कार्यवाहियां की जानी है जैसे आवेदन पत्र की विभिन्न पूर्तियां, आवेदन पत्र का सक्षम स्तर से स्वीकृति पश्चात राशि विवरण एवं अनुदान विवरण, यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य है तो उसकी प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृतियों को प्रसारित किया जाना, यदि कोई प्रमाण पत्र दिए जाना है तो इस अवधि में मौका निरीक्षण कर वह प्रमाण पत्र जारी किया जाना, कोई

खराबी आयी है तो उसे दुरस्त किया जाना इत्यादि अनेकों स्वरुप हो सकते है।

(जी) **सक्षम स्तर से समाधान** – यह संभव है कि सभी मामलों में विकास खण्ड स्तर में स्वीकृत/अस्वीकृत/समाधान कराने हेतु अधिकारी विद्यमान न हो ऐसे मामले में संबंधित जिला अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे जिस भी स्तर जैसे जिला जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जिला कार्यालय, संभागीय कार्यालय/विभागाध्यक्ष स्तर से इन 21 दिन की अवधि में आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करे व आवश्यक समस्त कार्यवाहियां पूर्ण करे।

(एच) **महोत्सव दिवस के कार्यकम** – महोत्सव दिवस में विभिन्न योजनाओं की विकास खण्ड स्तर पर प्रदर्शनी लगायी जावेगी जो एक प्रकार की विस्तार सेवाओं के स्वरुप की होगी। इस प्रदर्शनी में विभाग अपनी योजनाओं के संबंध में किसानों को प्रत्यक्ष में जानकारी देवेंगे। जहां भी तकनीकों का प्रदर्शन किया जाना हो वहां इस प्रकार के जीवन्त प्रदर्शन निकट के खेत में कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी, जल संसाधन विभाग आदि द्वारा आयोजित किया जावेगा।

(आइ) **जिला स्तर, विकास खण्ड आदि स्तर की समीक्षा** – परचों के वितरण से लेकर महोत्सव के दिनांक तक सप्ताहवार विभिन्न विभागों को जो आवेदन दिए गये है उनका क्या निपटारा हुआ है यह जानकारी विभागों से ली जावेगी ताकि महोत्सव उत्तम रुप में संपादित हो।

कृपया उक्तानुसार आप अपने जिले के विकास खण्डों हेतु कार्यकम निर्धारित अलग–अलग विकास खण्डवार कर अवगत कराने का कष्ट करे।

सामान्य : स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारियों से परामर्श कर प्रचार–प्रसार योजनाओं के कोरे फार्म की उपलब्धता व अन्य समीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। जिला पंचायतों, जनपदों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अतः उनको सकियता से जोडे।

अन्त्योदय मेलों से समन्वयः–

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि प्रदेश में जनवरी व फरवरी माह में अन्त्योदय मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है । विभिन्न परिसम्पत्तियों के वितरण की तिथियों को जहाँ–जहाँ संभव हो उस मेरे के दिवस के साथ जोडा जावे ।

उक्त कार्यकम खरीफ 2011 को व्यापक स्वरूप देने में सहायक होगा, कृपया आप इस अनुरूप कार्यवाही करने हेतु समस्त सम्बद्ध विभागों की जिला अधिकारियों की बैठक बुलाकर फरवरी माह में होने वाले ब्लाक महोत्सव की तिथियाँ निर्धारण कर लेवे व उसकी सूचना इस कार्यालय को 10 जनवरी,2011 तक अवश्य दे देवें ।

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

कृषि महोत्सव के विभिन्न चरण

(क) शिविर की घोषणा एवं पर्चो के माध्यम से प्रचार–प्रसार प्रथम– दिन

(ख) पंचायतों में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–10 वां दिन।

(ग) विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदनों का संकलन एवं विभागवार वर्गीकरण 11वें दिन।

(घ) विभागों को आवेदन पत्रों का वितरण – 13 वें दिन।

(च) विभागों द्वारा विषयवार आवेदन पत्रों का विभाजन तथा अधीनस्थ कार्यालयों तक पहुंचाना– माह का 14 वां दिन।

(छ) विभागों द्वारा आवेदनों का निराकरण तथा निराकरण पश्चात लेखी में आवेदन को सूचना– प्राप्ती से 20 दिन तक(34 वां दिन)

(ज) ब्लाक मुख्यालय पर नियत दिन कृषि महोत्सव आयोजनः– (35 से 36 वे दिन)

(झ) जिला कलेक्टर तथा जिले के विभाग प्रमुख द्वारा समीक्षा।
प्रथम समीक्षा– माह के 15 वें दिन।
दूसरी समीक्षा– माह के 22 वें दिन
तीसरी समीक्षा– अगले माह के प्रथम सप्ताह।

विभिन्न विभागों द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाएं

क.	विभाग का नाम	संचालित योजनायें
1	2	3
1	ग्रामीण विकास विभाग	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाए/इंदिरा आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना जनश्री बीमा योजना .आम आदमी बीमा योजना कपिलधारा उपयोजना नंदन फलोद्यान समग्र स्वच्छता अभियान निर्मल वाटिका
2	कृषि विभाग	एकीकृत अनाज विकास योजना कृषि यंत्रीकरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन विकास योजना मक्का विकास योजना .एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन नलकूप खनन बलराम ताल योजना बैलगाड़ी अनुदान.बायोगैस संयंत्र टॉपअप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बीज ग्राम योजना अन्नपूर्णा योजना सूरजधारा योजना आत्मा योजना
3	उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	फल पौध रोपण अनुदान .टॉप वर्किंग कार्यक्रम .मसाला विकास कार्यक्रम औषाधिये एवं सुगंधित फसल पुष्प विकास योजना आलू विकास योजना.समन्वित सब्जी विकास योजना घरेलू बागवानी (बाड़ी किचन गार्डन).संकर मिर्च उत्पादन कार्यक्रम .कृषक भ्रमण राज्य के बाहर कृषक भ्रमण राज्य के भीतर कृषक प्रशिक्षण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अ.मल्टी स्टोरी आचर्ड ब.प्लास्टिक केट्स औषधि पौधा मिशन औषधीय पौधो की खेती पर अनुदान अकृआंवला ब..कालमेघ स.अश्वगंधा अ. बीजोत्पादन शासकीय ब. बजोत्पादन निजी 2 अ.फल क्षेत्र विस्तार संतरा ब.आंवल स.आम द.अमरूद इ. अनार 3.पुष्प क्षेत्र विस्तार अ.कट फ्लावर ब.बल्बस फ्लावर स.लूज फ्लावर 4.मसाला क्षेत्र विस्तार मिर्च 5.पुराने बगीचो का जीर्णोद्धार अ.संतरा ब.अमरूद 6.संरक्षित खेती अ.ग्रीन हाउस ब.मलचिंग 7. आईएनएम/आईपीएम सब्जी 8.आर्गेनिक फार्मिंग अ.आम ब.संतरा स.वर्मी कम्पोस्ट इकाई (ईंट) 9. सामुदायिक जल स्त्रोतो का निर्माण 10.मानव संसाधन विकास (एचआरडी) अ.राज्य के भीतर भ्रमण ब.राज्य के बाहर भ्रमण स.माली प्रशिक्षण केन्द्र 11.मिशन भत्ते 12.ड्रिप संयंत्र 13.स्प्रिंकलर संयंत्र
4	सहकारिता	.कृषको को उपज के तारण पर ऋण प्रदान योजना वाहन ऋण योजना आभूषण के तारण पर ऋण किसान साख पत्र.अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को पैक्स/लैम्पस के अंश खरीदने/सदस्य बनने के लिये अनुदान .जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको के अंश खरीदने सदस्य बनने के लिये ब्याज रहित ऋण प्राथमिक विपणन समितियों के अंश खरीदने/सदस्य बनने के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यो को अनुदान अनुसूचित

		जाति/जनजाति के सदस्यो को पैक्स/लैम्पस के माध्यम से उपभोग/सामाजिक उपभोग ऋण अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के अल्पावधि ऋणो पर मूल से ज्यादा देय ब्याज हेतु अनुदान (दाम दुपट योजना)
5	वन	1.लोक वानिकी के माध्यम से ग्रामीणो और पंचायतों की आय ग्रामीणों को निस्तार सुविधाएं वन्य–प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति वन्य–प्राणियों द्वारा निजी मवेशी/पशुओं को मारे जाने पर सहायता तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना.औषधीय पौधों के माध्यम से आर्थिक लाभ
6	उर्जा विभाग	(क) नया मीटर लगाने बाबत् (ख) हरिजन आदिवासी टोला या मोहल्ला में विधुतीकरण (ग) ग्राम के अन्दर स्ट्रीट लाई की व्यवस्था बाबत् (घ) टुटे विधुत खम्बे, लटकते हुए तारों को बदलने बाबत् (ड) ट्रांसफार्मर खराब होना (च) पंप कनेक्शन में बिल की बकाया राशि के कारण कनेक्शन काटने के संबंध में शिकायत (छ) जले हुंए मीटरों की शिकायत प्राप्त करना तथा उसे बदलना (ज) पुराने विधुत आवेदनों की स्थिति (झ) त्रुटिपूर्व बिलों का निराकरण (ट) भावी विधुतीकरण की जानकारी (ठ) बकाया राशि की वापसी (ड) स्ट्रीट लाईट शिकायत (ढ) विधुत चोरी शिकायत (ण) समाधान योजना का लाभ । (क) उन्नत चूल्हा सोलन कुकर तथा गोबर गैस प्लांट के निर्माण की समस्याएं (ख) धुंआ रहित चूल्हा बाबतफ ।
7	राजस्व विभाग	पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसील कार्यालय से जुडे विभिन्न भूमि संबंधी कार्य ।
8	मत्स्य–पालन	मत्स्य बीज उत्पादन मत्स्य पालको को सहायता मछुआ प्रशिक्षण सहकारी समितिओं को सहायता मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा .तालाब पट्टा आवंटन स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण .बचत सहराहत योजना
9	जल संसाधन विभाग	विभाग के अन्तर्गत आने वाली सिंचाई (ख) नहरों में मरम्मत बाबत् (ग) उन्नत सिचाई तरीकों की जानकारी (घ) सिंवाई क्षेत्र के कृषकों का बेहतर फसल प्रर्दशन हेतु कार्यकम ।
10	पशुपालन	.समुन्नत योजना (मुर्रा पाड़ा) नर बकरा प्रदाय योजना विशेष पशु प्रजनन कार्यकम बैंक ऋण पर बकरी इकाई .बैंक ऋण पर डेयरी इकाई नंदी शाला योजना बैकयार्ड योजना